भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न सं. *61

24 जुलाई 2026 को उत्तरार्थ

विषय: राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-एनएएम) तथा संबद्ध प्लेटफॉर्मों का विस्तार और एकीकरण

***61. श्री अशोकराव शंकरराव चव्हाणः**

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2026 के दौरान राष्ट्रीय कृषि बाज़ार (ई-एनएएम) तथा उससे संबद्ध प्लेटफॉर्मों के विस्तार और एकीकरण का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त प्लेटफॉर्म के अंतर्गत कितनी मंडियों तथा राज्यों को एकीकृत किया गया है;

(ग) क्या इस प्लेटफॉर्म के अंतर्गत अंतर्राज्यीय व्यापार तथा मूल्य निर्धारण (प्राइस डिस्कवरी) तंत्र में सुधार आया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) किसानों की लाभकारी बाजारों तक पहुँच को बढ़ाने तथा बिचौलियों पर निर्भरता कम करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

'राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-एनएएम) तथा संबद्ध प्लेटफॉर्मों का विस्तार और एकीकरण' के संबंध में दिनांक 24 जुलाई, 2026 को उत्तरार्थ राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 61 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख): सरकार कृषि उत्पादों की पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी ऑनलाइन ट्रेडिंग को आसान बनाने के लिए देशभर में एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, 'नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट' (ई-नाम) कार्यान्वित कर रही है। ई-नाम पर मंडियों को राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) से प्रस्तावों के आधार पर एकीकृत किया जाता है। 30 जून, 2026 की स्थिति के अनुसार, 23 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की 1656 मंडियों को ई-नाम से एकीकृत किया गया है; जिसमें जनवरी से जून, 2026 के बीच एकीकृत गईं 5 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की 134 मंडियां भी शामिल हैं।

(ग) और (घ): सरकार ने किसानों की बेहतर कीमत देने वाले बाज़ारों तक पहुँच बढ़ाने और बिचौलियों पर उनकी निर्भरता कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। ई-नाम के साथ एकीकृत मंडियाँ किसानों को अधिक क्रेताओं तक पहुँच, पारदर्शी ऑनलाइन बोली लगाने की सुविधा, बेहतर कीमत निर्धारण प्रक्रिया और बिक्री से प्राप्त रकम का सीधे उनके बैंक खातों में भुगतान की सुविधा देती हैं। यह प्लेटफ़ॉर्म देश भर के खरीदारों को पारदर्शी ऑनलाइन बोली के लिए भाग लेने में सक्षम बनाकर राज्यों के बीच व्यापार को भी बढ़ावा देता है, जिससे प्रतिस्पर्धी कीमत निर्धारित होती है और किसानों को बेहतर कीमत प्राप्त होती है। 30 जून, 2026 तक, ई-नाम पर 1.89 करोड़ किसान और 2.78 लाख व्यापारी पंजीकृत हो चुके हैं। इसके अलावा, ई-नाम पर राज्यों के बीच व्यापार वर्ष 2018-19 में 563 एमटी (37 लाख रुपये) से बढ़कर वर्ष 2025-26 में 2984.3 एमटी (14.28 करोड़ रुपये) हो गया है। कुल मिलाकर, ई-नाम पर 83.95 करोड़ रुपये मूल्य के 28,566 एमटी का अंतर-राज्यीय व्यापार दर्ज किया गया है। ई-नाम में "बंद" बोली (क्लोज्ड बीड) की व्यवस्था है, अर्थात दूसरे बोली लगाने वाले यह नहीं देख सकते कि कितनी बोली लगाई जा रही है। प्रति लॉट व्यापारियों की बोलियों का औसत वर्ष 2016-17 में 2.1 से बढ़कर वर्ष 2025-26 में 2.8 हो गया है, जो हर नीलामी में अधिक व्यापारियों की भागीदारी को दर्शाता है।

इसके अलावा, यह विभाग किसानों की सामूहिक मार्केटिंग को सुदृढ़ करने, वैल्यू चेन पार्टनर्स, संगठित रिटेलर्स, संस्थागत खरीदारों और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के साथ मार्केट लिंकेज बेहतर करने, और बेहतर सौदेबाजी की क्षमता के लिए उपज को एकत्रित करने और इकॉनमी ऑफ स्केल के लाभ के उदेश्य से, विभाग '10,000 एफपीओ का गठन एवं संवर्धन नामक केंद्रीय क्षेत्र स्कीम' के तहत किसान उत्पादक संगठनों को बढ़ावा दे रहा है। 4754 किसान उत्पादक संगठनों को ई-नाम से एकीकृत किया गया है, जिससे वे उपज को इकट्ठा कर सकते हैं, पारदर्शी ऑनलाइन ट्रेडिंग में हिस्सा ले सकते हैं और ज़्यादा क्रेताओं तक पहुँच सकते हैं।

इसके अलावा, कृषि और किसान कल्याण विभाग फसलोपरांत प्रबंधन, एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर, मूल्य संवर्धन और बाजारों तक बेहतर पहुंच को सुदृढ़ करने के लिए लिए नीचे दी गई योजनाओं को लागू कर रहा है:

क. एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर (एएमआई) के तहत, जो इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर एग्रीकल्चरल मार्केटिंग स्कीम (आईएसएएम) की एक उप-स्कीम है, स्टोरेज और नॉन-स्टोरेज सुविधाएं बनाने के लिए सब्सिडी के रूप में आर्थिक मदद दी जाती है। इस स्कीम के तहत, पिछले 10 वर्षों में

369.18 लाख एमटी की स्टोरेज क्षमता वाले 12,353 स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं और 6,901 नॉन-स्टोरेज परियोजनाएं मंज़ूर किए गए हैं।

ख. एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ): यह स्कीम फसलोपरांत प्रबंधन इंफ्रास्ट्रक्चर और कृषि से संबंधित परिसंपत्तियां तैयार करने के लिए मीडियम से लॉन्ग-टर्म लोन फाइनेंसिंग में मदद करती है। यह स्कीम पात्र उधारकर्ताओं को ₹2 करोड़ तक के लोन पर 3% ब्याज अनुदान और क्रेडिट गारंटी सपोर्ट देती है, बशर्ते कि लोन की अधिकतम ब्याज दर 9% वार्षिक हो। एआईएफ के तहत ब्याज अनुदान के रूप में 18,893 गोदामों, 3,110 कोल्ड स्टोरेज और कोल्ड चेन प्रोजेक्ट्स, साथ ही 2,105 इंटीग्रेटेड प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोसेसिंग यूनिट्स को सहायता दी गई है।

ग. एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच): फल, सब्ज़ियां, कंद और मूल फसलें, मशरूम, मसाले, फूल, सुगंधित और औषधीय पौधे, नारियल, काजू, कोको और बांस सहित बागवानी क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए एमआईडीएच मिशन कार्यान्वित किया जा रहा है। एमआईडीएच ने 'पोस्ट-हार्वेस्ट मैनेजमेंट' के तहत पैक हाउस, कोल्ड स्टोरेज यूनिट, रेफ्रिजरेटेड वैन, प्राइमरी/मोबाइल प्रोसेसिंग यूनिट, राइपनिंग चैंबर, कोल्ड स्टोरेज से जुड़ी प्री-कूलिंग यूनिट और मोबाइल प्री-कूलिंग यूनिट सहित 1.76 लाख यूनिट तैयार की हैं।

इसके अतिरिक्त, सहकारिता मंत्रालय मौजूदा सरकारी स्कीमों जैसे कि एएमआई, एआईएफ आदि के कन्वर्जेंस 'प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़' (पैक्स) के स्तर पर विकेंद्रीकृत वैज्ञानिक भंडारण इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए विश्व का सबसे बड़ा अनाज भंडारण कार्यक्रम (डब्लूएलजीआईएसपी) कार्यान्वित कर रहा है। यह कार्यक्रम किसानों को अपनी उपज गाँव के स्तर पर ही स्टोर करने की सुविधा देता है, जिससे फसल कटाई के तुरंत बाद मजबूरी में कम दाम पर बेचने की स्थिति उत्पन्न नहीं आती और वे बाज़ार की स्थिति अनुकूल होने पर अपनी उपज बेच सकते हैं। यह कार्यक्रम पैक्स को बहुउद्देशीय सर्विस सेंटर के तौर पर भी सुदृढ़ बनाता है, क्योंकि यहाँ भंडारण और प्रोसेसिंग यूनिट जैसी सुविधाएँ बनाई जाती हैं, जिससे किसानों की अच्छी कीमत देने वाले बाज़ारों तक पहुँच बेहतर होती है। यह कार्यक्रम पैक्स को खरीद एजेंसियों से जोड़ने में मदद करता है, जिससे बिचौलियों पर किसानों की निर्भरता कम होती है और उनकी आय बढ़ती है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत, 11 राज्यों की 11 पैक्स में गोदाम बनाने का कार्य पूरा हो चुका है। इसके अलावा, 'एक्सटेंडेड पायलट' के तहत अब तक 302 पैक्स में निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जिससे कुल 1.71 लाख एमटी की भंडारण क्षमता तैयार हुई है।
